कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर–1, नौगांवा
(निदेशालय विस्तार शिक्षा)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
नौगांवा – 301025, अलवर (राजस्थान), दुरभाष–01468–294276, Email:- kvknavgaon@gmail.com

क्र/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2022–23/06–13 नौगांवा, (अलवर) दिनॉक : 11.04.2022

खुली निविदा क्रमांक–1. प्रपत्र

खुली निविदा सूचना क्रमांक/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2022–23/ 06–13 नौगांवा, दिनॉक : 11.04.2022	
1. कार्य का नाम व क्रमांक	**1. अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य**
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2022–23
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/– रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. धरोहर राशि की प्रकृति	16000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में
5. कार्य की अनुमानित मात्रा	कृषि एवं सम्बन्धित कार्य, खेतों एवं फसल, बागवानी, रात्रि चोकीदार, सफाई कर्मी, मुर्गी एवं बकरी पालन आदि कार्य हेतू अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति अनुमानित लागत 8.00 लाख रू.
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	26.04.2022 को सुबह 11.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	26.04.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	26.04.2022 को दोपहर 2.00 बजे
9. पृष्ठ संख्या दौ से चार	निविदा की शर्ते
10.परिशिष्ट संख्या एक – पृष्ठ संख्या पांच	श्रमिकों की आपुर्ति कार्य हेतू दरों का विवरण
11. पत्राचार हेतु पता–वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर	फोन नं.: 01468–294276 (कार्यालय) मोबाईल नं0– 9424275467 **Email:- kvknavgaon@gmail.com**

निविदा की शर्तेः–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर "**अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य**" लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य प्रतिदिन के हिसाब से स्पष्ट रूप लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कार्यालयिन कार्य/शस्य क्रियायें आदि सम्बंधित वैज्ञानिक या फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले लधु औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी। जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
4.	फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/फर्म की होगी।
5.	श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने व निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
6.	श्रमिकों को आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
7.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले आवश्यकतानुसार अथवा एक साल के लिए और बढ़ाई जा

	सकती है।
8.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थो का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
9.	कार्यालय की सुरक्षा तथा फार्म क्षेत्र में लगे सभी उपकरण व सामान जिसमें नसरी, प्रर्दशन ईकाईयां मुर्गी, बकरी ईकाई, नैट हाउस, ट्यूबबैल व फील्ड में लगे चारों तरफ के पेड़ों एवं बाउन्ड्री की चौकीदारी एवं सुरक्षा भी करनी होगी।
10.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11.	श्रमिकों को बीमार होने, दुर्घटना होने या अन्य श्रमिकों को क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति नही करेगा।
12.	श्रमिकों को सभी कार्य समय पर प्रभारी अधिकारी, फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मॉग के अनुसार करने होंगे यदि कोई श्रमिक कार्य समय पर नहीं करता है या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्यालय द्वारा श्रमिक को अनुपस्थित करार दिया जायेगा व मजदूरी भुगतान नही किया जावेगा।
13.	श्रमिकों को मजदूरी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह समय पर अग्रिम करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय मे बिल प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान नियमानुसार ट्रेजरी से पास होने पर किया जावेगा।
14.	रात्रि चोकिदारी को छोड़कर शेष अन्य श्रमिकों के कार्य का समय सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक या शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
15.	आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार /श्रमिक की होगी।
16.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPPA2012,वं RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
18.	सफल निविदादाता को 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
19.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
20.	समस्त निविदादाता अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं विधिमान्य श्रमिक आपुर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करें।
21.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
23.	उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा (अलवर) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
24.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर/टीडीएस कटौती की जायेगी। जिसके लिए पेन कार्ड की स्वंसत्यापित प्रतिलिपि एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी श्रमिकों की आपुर्ति हेतू वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
25.	ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/ फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. श्रमिकों के नाम से उनके खातों में जमा कराना होगा जिसकी सत्यापित प्रति कार्यालय मे बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं जिसका निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
26.	सर्विस टैक्स/जीएसटी/ आयकर हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तथा सर्विस टैक्स/जीएसटी/ आयकर/ टीडीएस कटौती मान्य दरों से विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार काट ली जावेगी।
27.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
28.	श्रमिकों को न्युनतम मजदूरी भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन/प्रतिमाह न्युनतम मजदूरी के

	अनुरूप करना होगा तथा मजदूरी भुगतान के उपरान्त कार्यालय मे बिल प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ के भुगतान एवं खाते मे मजदुरी की राशि का स्थानान्तरण का बेंक विवरण प्रथक रूप सें पूर्ण विवरण के साथ सत्यापित कर सलग्नं कर प्रस्तुत करना होगा जिसकी जांच के उपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
29.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नही दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
30.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के लिए रू. 16000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
31.	➢ सीलबन्द एक लिफाफे तकनिकी रूप से समिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके उपर बाहर <u>तकनिकी दस्तावेज</u> लिखा जावे। 1. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 2. सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर/पेन कार्ड/ई.एस.आई./ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रतियां 3. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 4. धरोहर राशि के लिए रू. 16000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट 5. फर्म द्वारा घोषणा की फर्म काली सूची में नही है । 6. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो। ➢ सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तिय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 अवश्य एवं अलग से रखा जावे। जिसके उपर बाहर <u>वित्तिय दरें</u> लिखा जावे। ➢ तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा। ➢ दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे मे बन्द कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जावें
32.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। सेवा प्रदात्ता को सर्विस टैक्स/ सेवा प्रदात्ता का चार्ज के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। अन्य सभी भुगतान श्रमिको के पक्ष में राजस्थान सरकार के श्रम विभाग एवं वित्त विभाग के दिशानिर्देषों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। तथा सभी सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
33.	प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
34.	निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें ।
35.	प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
36.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा । न्युनतम मजदुरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : एफ.8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर, दिनांक 30.07.2021 के अनुसार लागू होगी।
37.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
38.	संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
39.	विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत परराषि रू. 500/- प्रतिदिन के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगाँवा (अलवर) में शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
40.	संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ई.एस.आई. जमा कराना होगा । जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल

	होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
41.	संवेदक को इस विभाग द्वारा भुगतान की गई की राशि का पृथक चालान जमा करवाना होगा तथा गत माह EPF बिलों से भुगतान EPFराशि का चालान प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी माह के बिल का भुगतान दिया जायेगा
42.	राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
43.	श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
44.	नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
45.	कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
46.	बिना प्रतिफल वाली निविदा स्वीकार नहीं होगी |
47.	मैं उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहूंगा।
48.	उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मौहर कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहर

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म / प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिडसिक्यूरिटी के DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है । इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नहीं खोला जावेगा ।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र विभिन्न कार्यो हेतु कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा।/ **(संलग्न लिफाफा नं 1. में रखे)**

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम1970)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

मैं .... उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए कृषि एवं सम्बन्धित कार्य हेतू अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ। सभी सम्बधित दस्तावेज, आयकर विवरणी, सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन, PAN, GST नम्बर, बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration) सर्टिफिकेट सलग्न है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा अस्थाई श्रमिकों की आपुर्ति कार्य हेतू दरों का विवरण वर्ष 2022–23

क्र . .सं	कार्य की प्रकृति	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (.रु)	EPF दर प्रतिशत)13(% (.रु)	ESI दर प्रतिशत)3.25(% (.रु)	सेवा प्रदात्ता का चार्ज दर प्रतिशत (प्रति श्रमिक प्रति दिवस के अनुसार) (.रु)	कुल राशि)5 से 8=9) (.रु)
		कार्य हेतु आवश्यक मानव के साधन का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन (.रु)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	252/-	252	32.76	8.19		
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	264/-	264	34.32	8.58		
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	276/-	276	35.88	8.97		
4	उच्चकुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	326/-	326	42.38	10.60		

- सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तिय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 अवश्य एवं अलग से लिफाफा नं. 2 में रखा जावे। जिसके उपर बाहर वित्तिय दरें लिखा जावे।
- राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन न्युनतम मजदूरी के अनुरूप दरे रहेगीं तथा परिवर्तन होने पर परिवर्तित की जा सकेगी जौ, वित्त नियंत्रक श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के आदेशानुसार होगी।
- मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर